भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3014

जिसका उत्तर 07.08.2025 को दिया जाना है

सीआरआईएफ के अंतर्गत परियोजनाएं

†3014. श्री पुट्टा महेश कुमार:

श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत राज्यों को राज्यवार और वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सीआरआईएफ के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में निर्मित और निर्माणाधीन सड़कों की लंबाई, लागत, प्रकार और विशिष्ट अवस्थिति सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य और जिला-स्तरीय सड़कों के निर्माण या उन्नयन के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव और धनराशि की मांग करते हुए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो ऐसे अनुरोधों पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित किसी सड़क परियोजना के निष्पादन में विलंब हुआ है या लागत में वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसी देरी या लागत में वृद्धि को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित सड़क परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता या परिणामों की कोई समीक्षा या लेखापरीक्षा की है और यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत राज्य की सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधि आबंटित करता है।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के उपार्जन और जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत 535 करोड़ रुपये की लागत वाली 691 किलोमीटर लंबाई की 20 राज्य सड़क परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं।

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में सीआरआईएफ योजना के तहत 1,256 करोड़ रुपये की लागत की 534 किलोमीटर लंबाई की 55 राज्य सड़क परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत 1,928 करोड़ रुपये की लागत वाली 718 किलोमीटर लंबाई की 57 राज्य सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

(घ) और (ङ) सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 की धारा 7क और 11 के आधार पर, सरकार ने सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधि आबंटन के मानदंडों को अंतिम रूप दिया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ नियमित अंतराल पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किए जाने वाले कार्यों की परियोजना निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान करता है।

अनुबंध

'सीआरआईएफ के अंतर्गत परियोजनाएं' के संबंध में श्री पुट्टा महेश कुमार,श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा दिनांक 07.08.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए निधियों के उपार्जन और जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण: -

राशि करोड़ रुपये में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26 (30.06.2025 तक)**	
		उपार्जन	**जारी**	**उपार्जन#**	**जारी #**	**उपार्जन#**	**जारी #**	**उपार्जन#**	**जारी #**
1	आंध्र प्रदेश	380.19	356.55	420.10	485.48	420.00	322.56	456.08	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	147.65	183.63	167.75	238.00	168.04	269.13	185.02	0.00
3	असम	169.64	122.82	194.65	223.24	193.55	222.59	211.69	63.74
4	बिहार	226.47	226.47	258.43	258.43	255.17	255.17	281.37	253.46
5	छत्तीसगढ़	281.12	86.92	320.19	353.60	322.62	177.28	358.59	0.00
6	गोवा	16.26	0.00	18.47	48.16	17.79	29.70	19.56	0.62
7	गुजरात	509.31	249.12	586.35	73.79	585.01	680.70	642.03	271.17
8	हरियाणा	197.73	0.00	205.63	108.60	203.31	189.00	222.59	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	117.73	169.05	136.32	136.32	130.95	130.96	143.77	120.63
10	झारखंड	184.96	81.56	207.57	192.64	208.51	251.61	231.56	89.91
11	कर्नाटक	513.13	465.27	608.06	660.91	608.81	453.85	661.87	0.00
12	केरल	147.19	133.46	171.14	186.37	166.06	166.06	181.31	0.00
13	मध्य प्रदेश	632.99	573.96	719.10	778.13	721.61	682.14	796.71	725.82
14	महाराष्ट्र	783.19	1,084.15	886.63	886.63	891.52	891.52	987.55	0.00
15	मणिपुर	42.10	13.81	48.37	146.98	46.87	15.19	51.89	0.00
16	मेघालय	47.51	43.08	54.83	78.42	55.37	61.55	60.13	0.00
17	मिजोरम	38.20	10.96	43.62	35.60	43.86	55.45	48.70	0.00
18	नागालैंड	31.31	28.39	35.54	46.09	35.79	32.09	39.35	0.00
19	ओडिशा	340.95	313.52	387.41	423.41	392.13	392.13	432.27	230.62
20	पंजाब	176.96	106.84	195.33	72.04	195.97	174.52	210.67	0.00
21	राजस्थान	715.82	906.62	812.41	745.90	816.17	1120.67	901.81	382.28
22	सिक्किम	14.09	17.04	16.27	28.04	16.18	21.72	17.67	0.00
23	तमिलनाडु	402.67	377.63	457.11	486.15	457.75	425.76	500.94	434.48
24	तेलंगाना	304.27	275.89	335.09	366.38	335.58	335.59	367.17	304.79
25	त्रिपुरा	21.23	19.42	23.94	25.92	24.01	23.94	26.52	0.00

									राशि करोड़ रुपये में
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26 (30.06.2025 तक)**	
26	उत्तर प्रदेश	702.42	658.75	777.40	821.07	777.88	784.51	861.57	0.00
27	उत्तराखंड	114.01	378.17	129.83	140.46	129.95	55.07	143.20	120.15
28	पश्चिम बंगाल	240.31	217.90	275.67	298.08	272.75	272.75	299.40	0.00
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.49	15.81	19.75	16.68	19.75	16.06	21.73	0.00
30	चंडीगढ़	6.55	0.00	7.39	0.00	7.40	0.00	8.14	0.00
31	दादरा और नगर हवेली	2.38	5.74	0.31	6.50	0.00	6.49	0.00	7.14
32	दमन और दीव								
33	दिल्ली	32.06	0.00	36.31		36.31	0.00	39.94	0.00
34	जम्मू और कश्मीर	113.61	343.61	128.67	206.67	128.67	128.67	141.54	0.00
35	लद्दाख	289.06	83.44	326.41	68.10	326.41	95.56	359.05	0.00
36	पुदुचेरी	10.39	7.83	11.76	9.94	11.76	9.94	12.94	0.00

कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विगत वर्षों के अव्ययित शेष से राज्य के उपार्जन से अधिक निधि जारी की गई है।

#सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत सेतु बंधन के अंतर्गत राज्य सड़कों पर आरओबी/आरयूबी/पुलों के निर्माण के लिए आबंटित/जारी निधियां शामिल है

*****